राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.3 (ख) (के–395/86) अलेसे–II/3409-10 दिनांकः–22.11.2011

कार्यालय आदेश संख्या ......185....../2011–12

वित्त विभाग (नियम) अनुभाग के आदेश क्रमांक एफ.11(7)एफ/एफडी/रूल्स/2008–I दिनांक 31.12.09 के बिन्दु संख्या 7 (iii) के अनुसरण में श्री कोकाराम जैन, लेखाकार के आवेदन करने पर कनिष्ठ लेखाकार (460–770) के पद पर कार्यग्रहण तिथि 30.06.1988 से पूर्व तहसील राजस्व लेखाकार (460–770) पद पर दिनांक 27.09.1984 से 29.06.1988 तक समान वेतनमान में की गई नियमित सेवा को ए.सी.पी. के लिए गणना हेतु नवीन वेतनमान 2008 लागू किये जाने के पश्चात् मान्य किया है, फलस्वरूप श्री कोकाराम जैन द्वारा दिनांक 27.09.2008 को नवीन वेतनमान 2008 प्राप्त करने के पश्चात् राजस्व लेखाकार की सेवाओं को सम्मिलित करते हुए तृतीय ए.सी.पी. दिनांक 27.09.2011 से वेतन श्रृंखला पी.बी.–2 9300–34800 पे बैण्ड एवं 4800/– ग्रेड पे मे एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है। इनकी जन्मतिथि 01.01.1960 है।

श्री कोकाराम जैन के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14(88)एफडी(नियम)2008–I दिनांक 31.12.2009 में दी हुई शर्तो के सम्बन्ध मे संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाणपत्र व संतान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर एसीपी स्वीकृत की जाती है।

उपरोक्त लेखाकार के वांछित वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.14 (88) वित्त/नियम/08 दिनांक 7.6.11 द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत वर्षो की प्राप्त एपीएआर व संतोषजनक सेवा एवं प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन मे प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे मे निर्णय लिया जाकर तदानुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

श्री कोकाराम जैन का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.9.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 6.10.2008 एवं एफ.14 (88) एफडी (नियम) 2008–I दिनांक 31.12.09 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि श्री जैन राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 मे ग्रेड पे 4200/– रू0 वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

निदेशक

क्रमांकः– एफ.3 (ख) (के–395/86) अलेसे–II/3409-10 दिनांकः– 22.11.2011

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति डीग, भरतपुर।
2. श्री कोकाराम जैन, लेखाकार कार्यालय ... , पंचायत समिति डीग, भरतपुर।
3. निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट हेतु)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक–I)